न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(10)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6108 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 239/अपील/2015-16.

---

1. शैल मायाराम पुत्री स्व. डॉ. कृष्णचंद वर्मा
   निवासी शेरपुरा, विदिशा
   हाल मुकाम लोधी स्टेट, न्यू देहली-3
2. रतना वर्मा पुत्री स्व. डॉ. कृष्णचंद वर्मा
   निवासी शेरपुरा, विदिशा
3. सुजाता मलैया पुत्री स्व. डॉ. कृष्णचंद वर्मा
   निवासी शेरपुरा, विदिशा हाल मुकाम 30 केंट,
   डॉ. माखनलाल की पहाड़ी, सागर
4. शैवाल वर्मा पुत्री स्व. डॉ. कृष्णचंद वर्मा
   निवासी शेरपुरा, विदिशा
   हाल मुकाम ऑस्टिन टेक्सास, यू.एस.ए. .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन (सर्व-साधारण) .....अनावेदक

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 25-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम शेरपुर मुजप्ता तहसील व जिला विदिशा स्थित प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 275 रकबा 0.752 हेक्टेयर में से आधे भाग पर नामांतरण किए जाने हेतु तहसीलदार, विदिशा के समक्ष संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ-6/14-15 पंजीबद्ध कर दिनांक 15-4-15 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व संबंधी जटिल प्रश्न

निर्मित होने के आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26-12-15 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-11-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के स्व. दादा जी की होकर वारिसाना हक में आवेदकगण के पिता एवं अन्य सहखातेदारों को प्राप्त हुई है, जो कि आज भी आवेदकगण के पिता एवं सहखातेदारों के नाम भूमिस्वामी हक में दर्ज है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अपने स्व. पिता के स्वामित्व की भूमि पर वारिसाना हक चाहा है, किन्तु तहसीलदार द्वारा बगैर किसी आधार एवं बिना किसी आपत्ति के स्वत्व का जटिल प्रश्न मानकर, आवेदकगण का स्वत्व समाप्त करने में त्रुटि की गई है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, किन्तु दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण के चाचा की मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान का नामांतरण स्वीकार किया गया, किन्तु आवेदकगण का वारिसाना नामांतरण में स्वत्व का प्रश्न माननें में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में विवाद संग्रहालय का नहीं है, बल्कि आवेदकगण के पिता के स्वत्व की भूमि पर फौती नामांतरण का है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पुरातत्व विभाग के संग्रहालय का उल्लेख होने मात्र से स्वत्व का जटिल प्रश्न निर्मित होना मानकर आदेश पारित करने में भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है और न ही पुरातत्व विभाग का कॉलम नम्बर 3 में स्वत्व संबंधी प्रविष्टि है, मात्र कॉलम नम्बर 12 में उल्लेख होने मात्र से आलोच्य आदेश द्वारा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा दिया गया है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर उनके स्व. पिता के स्थान पर वारिसाना नामांतरण स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नामांतरण के आवेदन पत्र के संबंध में तहसीलदार द्वारा

पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर विधिसंगत निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आराजी नम्बर 96, 97, 278, 294, 295, 296, 297/1, 300/3 एवं 375 पर आवेदिकागण के पिता कृष्णचंद्र वर्मा का 1/2 भाग पर नाम दर्ज है, परन्तु भूमिस्वामी द्वारा उक्त भूमि विक्रय की जा चुकी है एवं प्रश्नाधीन भूमि पर क्रेताओं के मकान बने हैं तथा अराजी नम्बर 275 पर पुरातत्व विभाग का संग्रहालय बनकर उसके अधीन है और खसरे के कॉलम नम्बर 12 में भी उसकी प्रविष्टि है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर अभिलेख में दर्ज भूमिस्वामियों का स्वत्व शेष नहीं है, मात्र रिकार्ड में इन्द्राज मात्र है, ऐसा मानना समीचीन होगा । उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर प्रकरण में जटिल प्रश्न निर्मित होने से तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपील में अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी इसी आशय के निष्कर्ष निकालते हुए अपील निरस्त कर, तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अत: आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 25-11-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर